



संख्या—cm-312  
11/09/2019

### मुख्यमंत्री के समक्ष राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का प्रस्तुतीकरण

पटना, 11 सितम्बर 2019 :- एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के समक्ष राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव श्री विवेक कुमार सिंह ने प्रस्तुतीकरण दिया। प्रस्तुतीकरण के क्रम में लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट, लैंड कॉन्सिडरेशन एवं लैंड एक्यूजिशन पर विस्तृत जानकारी दी गई। विभाग की मौजूदा सेवाओं जैसे— ऑन लाइन म्युटेशन, ऑनलाइन लगान, ऑनलाइन जमाबंदी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं विभाग द्वारा आने वाले समय में दी जाने वाली सेवाओं के संबंध में भी जानकारी दी गई। प्रस्तुतीकरण में सर्वे ऑपरेशन की अद्यतन स्थिति के बारे में भी जानकारी दी गई। चुनौतियों एवं कठिनाइयों के समाधान के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं योजनाओं की जानकारी दी गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में होने वाले अपराध में कम से कम 60 प्रतिशत मामले भूमि विवाद से जुड़े होते हैं। बिहार में भूमि विवाद के निराकरण हेतु नये सिरे से सर्वे और सेटलमेंट का काम जारी है। इसके अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं ताकि भूमि विवाद के समाधान में तेजी आ सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारिवारिक बंटवारे की जमीन की रजिस्ट्री मात्र 100 रुपये (50 रुपया स्टैप ड्यूटी और 50 रुपया निबंधन शुल्क है) के सांकेतिक शुल्क पर निर्धारित की गयी है। उन्होंने कहा कि सर्वे सेटलमेंट के काम को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए तेजी से काम को पूरा करें। राज्य में विकास के अनेक कार्य हो रहे हैं, जिससे जमीन की कीमतें भी बढ़ रही हैं, इसलिए जमीन से संबंधित विवादों का निपटारा जरूरी है। नए सर्वे सेटलमेंट से जमीन संबंधी विवादों का समाधान तो होगा ही साथ ही इससे फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी और समाज में अमन चैन का माहौल भी बना रहेगा। उन्होंने कहा कि लोगों में भूमि सुधार एवं उसकी नियमावली को प्रचारित किया जाना चाहिए, जिससे विभाग द्वारा किए जा रहे भूमि सुधार से संबंधित कार्यों की जानकारी लोगों को मिल सके और अधिक से अधिक लोग इससे लाभाविन्त हो सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक सेवा का अधिकार कानून एवं लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के अंतर्गत दाखिल—खारिज एवं राजस्व से संबंधित जो मामले लंबित हैं उसके समाधान के लिए समीक्षा करें और उसमें तेजी लाएं। आप सभी को मजबूती एवं तत्परता से काम करना चाहिए, ताकि नियत समय में सभी काम पूरे हो सकें।

बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री राम नारायण मंडल, मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन एवं गृह विभाग श्री आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री विवेक कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष श्री रवींद्र कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, अपर सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय श्री चंद्रशेखर सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं निबंधन विभाग के अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

\*\*\*\*\*